क्रम संख्या–64

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/2000–02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–2, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 मई, 2007 ई0
वैशाख 20, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1066/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007
देहरादून, 10 मई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 पर दिनांक 10 मई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश सं0 01, सन् 2007 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित :–

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) का प्रतिस्थापन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(4)(1)(क)–"इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिक सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।"

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का संशोधन एवं लोप

3–(क) मूल अधिनियम के हिंदी पाठ की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) में उल्लिखित शब्द "नक्शा" को हटा दिया जायेगा।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का लोप कर दिया जायेगा।

सुदर्शन अग्रवाल,
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaraknand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007 (Uttarakhand Ordinance No. 01 of 2007).

As promulgated by the Governor of Uttaraknand assented to by 10th May, 2007.

No. 1066/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, May 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2007

(UTTARAKHAND ORDINANCE NO. 01 OF 2007)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand

AN

ORDINANCE

Promulgated by the Governor in the Fifty Eighth year of the Republic of India :

WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :--

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the principal Act

2. In place of existing sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred to as principal Act) the following sub-section shall be substituted, namely :--

(4)(1)(a)--Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, "any person for his own or on behalf of his family (which means husband, his wife, minor children, unmarried sons, unmarried daughters and dependent parents) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 250 sq. mts. for residential purpose in his lifetime without the permission".

Amendment and Omission of sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act

3. (a) In sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the Hindi version of the principal Act, the word "Naksha" shall be omitted.

(b) Sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act shall be omitted.

SUDARSHAN AGARWAL,
Governor, Uttarakahand.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 विधायी / 208–2007–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियो)।